

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय


एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची | Email - transport.jhr@gmail.com

|| आम सूचना ||

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य में Bus Body Code के द्वारा तय मानकों के आधार पर प्राधिकृत निर्माताओं के द्वारा निर्मित स्लीपर बसों का वर्गीकरण किया जा रहा है।

स्लीपर बस के वाहनस्वामियों से अनुरोध है कि अपने बसों का वर्गीकरण दिनांक **15/04/2022** के पूर्व निश्चित रूप से कराते हुए प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे। उक्त तिथि के पश्चात् वाहन का वर्गीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सचिव, परिवहन विभाग के आदेश से।


संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक:- परि.आ.-541/2018 288

दिनांक 25.03.2022

प्रतिलिपि :- प्रेषण शाखा को सूचनापट्ट एवं वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।


संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची